विविध बैंक प्रकरण संख्या 68/2019(GCMS : 2019/00116) बैंक ऑफ बडौदा, शाखा कार्यालय सूरतगढ – प्रताप मॉल के सामने, लाहोटी पैट्रोल पम्प के पास, बीकानेर रोड़, सूरतगढ – 335804 बनाम 1. मैसर्स मुर्तजा फैशन पता भगत सिंह चौक के पास, सूरतगढ – प्रो. नितिन कुमार पुत्र श्री जगदीश राय निवासी 343 ईदगाह रोड़, वार्ड नं 14, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर एवं वार्ड नं. 9, आदर्श कॉलोनी, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर 2. जानकी देवी पत्नी स्व. श्री जगदीश राय पता वार्ड नं. 9, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर 3. रेखा पत्नी संजय धुवा (जमानतदार श्री संजय धुवा पुत्र श्री फतेह चंद के कानूनी वारिस) पता 342 ईदगाह रोड़, वार्ड नं. 14, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर एवं वार्ड नं. 9 आदर्श कॉलोनी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

02.01.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक श्री समीर यादव, प्राधिकृत कार्यकर्त्ता उपस्थित नहीं हुए। पूर्व में उनके द्वारा प्रार्थी बैंक की ओर से विड्रो किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है, जो शामिल पत्रावली है।

मैने, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 10.06.2019 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण मैसर्स मुर्तजा फैशन – प्रो. नितिन कुमार, जानकी देवी एवं रेखा के विरूद्व पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में जानकी देवी की **सम्पत्ति मकान जो वार्ड सं. 5(क्षेत्रफल 1460 वर्गफीट), तहसील सूरतगढ व जिला श्रीगंगानगर** का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आश्य का लिखित प्रार्थना पत्र प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने पेश किया हुआ है,** जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.13 13:34:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.13 13:34:23 IST
Reason: SelfAttested